अनुबंध

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2017 से जून 2018*

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
	मौद्रिक नीति विभाग
2 अगस्त 2017	नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया।
4 अक्तूबर	14 अक्तूबर 2017 से एसएलआर को 50 आधार अंक घटाकर 19.5 प्रतिशत कर दिया गया। 'परिपक्वता तक धारित' के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में भी चरणवार कटौती करके 31 मार्च 2018 तक 19.5 प्रतिशत कर दिया गया।
6 जून 2018	नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया।
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
6 जुलाई 2017	लघु वित्त बैंकों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गये जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय समावेशन संबंधी उद्देश्य, गतिविधियों का दायरा और मार्गदर्शन को शामिल किया गया।
13 जुलाई	वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण बैंक शाखाओं को वित्तीय जागरूकता संदेशों पर दृक-श्राव्य (ओडीयो-विजुअल) एवं पोस्टर दिखाने के लिए हस्त-चालित प्रोजेक्टरों का उपयोग करने की सलाह दी गई।
13 जुलाई	बैंकों को उन दस्तावेजों के संबंध में अनुदेश दिए गए, जिन पर उद्यमों को सूक्ष्म, छोटे और मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने हेतु संयंत्र और मशीनरी में निवेश को सुनिश्चित करते समय भरोसा किया जाना है।
3 अगस्त	बैंकों को सूचित किया गया कि प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में वास्तविक समय के आधार पर डेटा संग्रह और संकलन के लिए एक समर्पित पोर्टल की स्थापना करें। बैंकों को उनके द्वारा किए गये राहत उपायों से संबंधित डेटा फाइल को अपलोड करना था। एसएलबीसी से अपेक्षित था कि प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राज्यों की अधिसूचनाएं अपलोड करें।
16 अगस्त	बैंकों को 2017-18 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना को लागू करने के लिए सरकार के अनुमोदन से अवगत कराया गया।
21 सितंबर	बैंकों को सूचित किया गया कि 2017-18 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को उधार के अंतर्गत उपलब्धियों की गणना के लिए लागू प्रणालीगत व्यापक औसत संख्या 11.78 प्रतिशत होगी।
18 अक्तूबर	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी-एनआरएलएम) तथा ब्याज अनुदान योजना के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गये।
1 मार्च 2018	समायोजित निवल बैंक ऋण के 8 प्रतिशत के उप-लक्ष्य या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र की समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, 2018-19 से छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने के लिए 20 और उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर लागू होगी। बैंकों को सूचित किया गया कि सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे एमएसएमई के सभी ऋण किसी भी अधिकतम ऋण सीमा के बिना प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अर्हताप्राप्त होंगे।
6 अप्रैल	एसएलबीसी समन्वयक/अग्रणी बैंकों को अग्रणी बैंक योजना में सुधार के लिए कदम उठाने हेतु सूचित किया गया।
18 अप्रैल	किसानों, छोटे उद्यमियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लक्ष्य- समूह विशिष्ट वित्तीय साक्षरता सामग्री जारी की गयी।
19 जून	प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत पात्रता को सस्ती आवास योजना के अनुरूप बनाने के लिए आवास ऋण सीमाओं को संशोधित किया गया।
	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
10 अगस्त 2017	त्रि-पक्षीय रिपो संबंधी निदेश जारी किए गये।
10 अगस्त	सीपी निर्गमन के लिए सालाना ₹10 बिलियन से अधिक के निर्गमन, संबंधित पक्ष निर्गमन पर प्रतिबंध, और पुनर्खरीद समय सीमा के विस्तार के लिए दोहरी रेटिंग आवश्यकताओं जैसे उपाय किए गये।
21 सितंबर	ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों की व्यापार निक्षेपागार के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं संशोधित की गई। इसके अलावा, एडी श्रेणी -1 बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी बही और व्यापार निक्षेपागार के बीच बकाया शेषों का मिलान निरंतर आधार पर करें।

*सांकेतिक स्वरूप के है और विस्तृत विवरण रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
12 अक्तूबर 2017	भारत से निर्यात और आयात के कारण भारतीय रुपये का एक्सपोज़र रखने वाले अनिवासियों के केंद्रीय कोषागारों को भारत में एडी श्रेणी -1 बैंकों के साथ ऐसे अनिवासियों की ओर से और उनके लिए हेजिंग करने की अनुमति दी गयी।
9 नवंबर	प्रलेखन अपेक्षाओं को कम करके, उत्पादों, उद्देश्य और हेजिंग के लचीलेपन के संबंध में निर्धारक शर्तों से परहेज करते हुए, हेजिंग सुविधा को सरल बनाया गया।
16 नवंबर	एफपीआई को टी-1 या टी+2 आधार पर सरकारी प्रतिभूति में ओटीसी द्वितीयक बाजार सौदों के निपटान करने की अनुमति दी गयी।
16 नवंबर	बाजार प्रतिभागियों को बाजार दबाव की असाधारण स्थिति में अपने स्वयं के एचटीएम/एएफएस/एचएफटी पोर्टफोलियो से सरकारी प्रतिभूति सुपुर्द करने के लिए 'नोशनल' शॉर्ट सेल करने की अनुमति दी गयी।
26 फरवरी 2018	भारत में निवासी व्यक्तियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में अपने मौजूदा अंतर्निहित एक्सपोजर को स्थापित किए बिना भारतीय रुपये को शामिल करते हुए सभी एक्सचेंजों में किए गए सौदों को एक साथ रखते हुए सभी करेंसी युग्मों के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य मुद्रा की एकल सीमा तक पोज़ीशन (लाँग या शॉर्ट) लेने की अनुमति दी गई।
1 मार्च	एफपीआई को आईआरएफ में लॉन्ग पोजीशन के लिए ₹50 बिलियन की अलग सीमा आबंटित की गई।
12 मार्च	विदेशी बाजारों में कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल ढुलाई जोखिम का हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 जारी किए गए।
31 मार्च	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) को सूचित किया गया कि 31 मार्च, 2018 से सरकारी प्रतिभूति (केंद्र और राज्यों द्वारा जारी) के प्रशासन की जिम्मेदारी वहन करें।
6 अप्रैल 2018	सरकारी प्रतिभूति के बकाया स्टॉक में एफपीआई के निवेश की सीमा को बढ़ा कर वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत किया गया। इसके अलावा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश की सीमा बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत पर तय की गयी।
14 जून	रुपये में इन्टरेस्ट रेट स्वैपशन की अनुमति दी गई ताकि अपने ब्याज दर जोखिम का बचाव तलाशने वाले बाजार सहभागियों को समय संबंधी रियायत मिल सके।
15 जून	कॉर्पोरेट बॉन्डों में न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अपेक्षा, प्रतिभूतिवार सीमा (केंद्र सरकार प्रतिभूति के लिए बकाया स्टॉक के 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत तक), संकेंद्रण सीमा तथा एकल / समूह-वार सीमा के संबंध में ऋण लिखत में एफ़पीआई निवेश पर परिचालनगत दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
6 जून 2018	दिनांक 01 अगस्त 2018 से एलएएफ और एमएसएफ के तहत मार्जिन आवश्यकता को संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, रेटेड एसडीएल के लिए मार्जिन आवश्यकता उसी परिपक्वता समूह के लिए अनरेटेड एसडीएल से 1 प्रतिशत कम होगी।
विदेशी मुद्रा विभाग	
28 जुलाई	भारत में प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी I) बैंकों के माध्यम से गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा जावक विप्रेषण सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया।
13 सितंबर	सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी), केवाईसी मानदंडों, डेबिट कार्ड में विदेशी मुद्रा के नकदीकरण को लोड करने, मुद्रा बदलने संबंधी अनुज्ञप्ति के अनिवार्य प्रदर्शन, एफएफएमसी के लिए लाइसेंस शुल्क लगाने और एफएफएमसी द्वारा नवीकरण आवेदन जमा करने में देरी के लिए विलंब शुल्क हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने पर कुछ बदलावों को मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों से संबंधित मास्टर दिशा-निर्देश में शामिल किया गया।
15 सितंबर	एडी श्रेणी -1 बैंकों को ईडीपीएमएस और डीजीएफटी में डेटा की समरूपता सुनिश्चित करने के लिए 'ज्यों और जब वसूली होने के आधार' पर ईडीपीएमएस में निर्यात डेटा को अद्यतन करने और 16 अक्तूबर 2017 से सिर्फ ईडीपीएमएस में उपलब्ध आंकड़ों से इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ईबीआरसी) जेनेरेट करने का निदेश दिया गया।
22 सितंबर	3 अक्तूबर 2017 से एफपीआई द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश के लिए सीमा से आरडीबी के निर्गमन को हटा दिया गया। परिणामस्वरूप, निक्षेपागारों को आगे की रिपोर्टिंग के लिए आरडीबी लेनदेनों की ईमेल रिपोर्टिंग अपेक्षा को खत्म कर दिया गया। हालांकि, मौजूदा ईसीबी मानदंडों के अनुसार आरडीबी की रिपोर्टिंग जारी रहेगी।
7 नवंबर	भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश को विनियमित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 (फेमा 20 आर) स्थापित की गई। यह अधिसूचना, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की दो अधिसूचनाओं, अधिसूचना सं. फेमा 20/2000 –आरबी तथा अधिसूचना सं. 24/2000-आरबी, का अधिक्रमण करती है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
14 नवंबर 2017	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश दिशानिर्देशों में परिवर्तनों से संबंधित अधिसूचना सं. फेमा 369/ 2017-आरबी जारी की गयी।
15 नवंबर	ईडीपीएमएस के साथ एकीकरण के कारण लदान बिल की एक्स्चेंज कंट्रोल प्रति को बंद किया गया।
8 दिसंबर	प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी) को सूचित किया गया कि वे एएमसी अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (डीओई)/ राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा किसी अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा प्रारंभ की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में ऐसी कार्रवाई प्रारम्भ होने के एक महीने के भीतर रिपोर्ट करें।
14 दिसंबर	तर्कसंगत बनाई गयी अधिसूचना में निर्धारित रिपोर्ट्स/ फॉर्म्स/ विवरणियों जैसे विदेशी मुद्रा-शेयरों का अंतरण(एफ़सी-टीआरएस) तथा विदेशी मुद्रा- सकाल अनंतिम विवरणी (एफ़सी-जीपीआर) के विलंब से फाइल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए विलंब से प्रस्तुति शुल्क का प्रारंभ किया गया।
22 दिसंबर	ऐसे उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया जो विभिन्न रिपोर्ट्स/ फॉर्म्स/ विवरणियों को रिपोर्ट करने में विलंब से संबंधित नहीं हैं।
4 जनवरी 2018	विद्यमान ईसीबी के पुनर्वित्तपोषण को भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/ सहयोगी संस्थाओं तक विस्तारित किया गया जिसके अंतर्गत उन्हें उच्च रेटिंग प्राप्त (AAA) कंपनियों (कॉर्पोरेट्स) तथा सार्वजनिक स्तर के नवरत्न तथा महारत्न श्रेणी के उपक्रमों के ईसीबी का पुनर्वित्त पोषण करने की अनुमति दी गयी।
4 जनवरी	रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार किसी देश/ क्षेत्राधिकार, जो कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफ़एटीएफ़) की निगरानी के अंतर्गत है अथवा जिसके संबंध में एफ़एटीएफ़ अथवा किसी अन्य देश/क्षेत्राधिकार ने वर्धित उचित सावधानी बरतने की सिफ़ारिश की है, में संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी (जेवी/डब्ल्यूओएफ) को लेखापरीक्षा नहीं किए गए तुलनपत्र के आधार पर वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) फ़ाइल करने की अनुमति नहीं दी गयी।
4 जनवरी	भारत में विदेशी निवेश तथा फेमा में उससे संबंधित पहलुओं पर अनुदेशों को पहली बार संकलित करके जारी किया गया।
12 जनवरी	एडी श्रेणी-I के बैंकों को सूचित किया गया कि वे निर्यातकों से निर्यात संवर्धन के लिए मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों (रत्न तथा आभूषण, स्वर्ण तथा बहुमूल्य धातुओं से बनी वस्तुओं को छोड़कर) के बिना किसी लागत के मुफ्त आधार पर निर्यात के लिए निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ़) से छूट प्रदान करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करें।
24 जनवरी	कंपाउंडिंग हेतु अनुरोध करने वाले आवेदकों से भरवाए जाने वाले प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) द्वारा अन्वेषण से संबंधित घोषणापत्र के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है।
2 फरवरी	आईडीपीएमएस के स्थिरीकरण के परिणामस्वरूप, दिसंबर 2017 को समाप्त छमाही से एडी श्रेणी -1 बैंक द्वारा बिल ऑफ एन्ट्री फॉलो-अप (बीईएफ) विवरणियों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता को खत्म किया गया। तथापि, प्राधिकृत व्यापारियों को फॉलो-अप हेतु ई-मेल / एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा तेजी से संचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों को शामिल करने हेतु अनुदेशों को व्यापक बनाया गया है। प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित होगा कि वे कम से कम एक बार पंजीकृत पत्र के माध्यम से फॉलो-अप करें।
13 मार्च	गैर-पूंजीगत वस्तुओं (सोने, पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम, चांदी, आदि को छोड़कर) के आयात के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों द्वारा किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक या वित्तीय संस्थान के पक्ष में एक वर्ष तक की अधिकतम अवधि के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन तक वचन-पत्र (एलओयू) / चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी करने की प्रथा को अनुमति दी गई थी। पूंजीगत वस्तुओं के आयात के मामले में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अधिकतम तीन वर्षों की अवधि हेतु गारंटी/ वचन-पत्र (एलओयू) / चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी किए जा सकते हैं। भारत में आयात पर व्यापार ऋणों हेतु जारी किए जाने वाले वचन-पत्र (एलओयू) / चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी करने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। रिपोर्टिंग प्रारूप को भी तदनुसार संशोधित किया गया है।
16 मार्च	विलंब से प्रस्तुति हेतु विलंब शुल्क (एलएसएफ) हेतु ₹100 की फ्लोर लिमिट (न्यूनतम लागू राशि) की शुरुआत की गयी।
20 मार्च	विदेशी मुद्रा प्रबंध (सीमापारीय विलयन) विनियमावली, 2018 पर फेमा अधिसूचना सं. फेमा 389/2017-आरबी जारी की गयी।
26 मार्च	अधिसूचना सं. फेमा 21(आर), जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमावली,2018 से संबंधित है, को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
6 अप्रैल	(i) दिनांक 26 मार्च 2018 को फेमा 20(आर) में संशोधन के प्रकाशन के परिणामस्वरूप, (ii) स्वचालित मार्ग के तहत रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवाओं में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी। (iii) रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत निवेश कंपनियों में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत किया जाएगा। (iv) भारतीय कंपनियों को भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को स्वचालित मार्ग के तहत अथवा यदि भारतीय निवेशिती कंपनी सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत क्षेत्र में शामिल है, तो उसे सरकार के पूर्वानुमोदन से पूंजीगत लिखतें जारी करने की अनुमति है।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
12 अप्रैल 2018	प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) की परिभाषा को भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के रूप में संशोधित किया गया है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 (ए) के तहत प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड-धारक के रूप में पंजीकृत है। अनिवासी भारतीय (एनआरआई) / प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के लिए भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण एवं अंतरण संबंधी शर्तें निर्धारित की गयी।
12 अप्रैल	उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत व्यक्तियों द्वारा किए गए लेनदेनों की प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (एडी बैंकों) द्वारा दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग संबंधी नयी प्रणाली शुरू की गयी।
27 अप्रैल	ईसीबी पर दिशा-निर्देशों को अधिक तर्कसंगत और उदार बनाया गया, जिसमें अन्य के साथ-साथ ईसीबी की समग्र लागत की एकसमान अधिकतम सीमा का निर्धारण, प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारक से स्वचालित मार्ग के तहत जुटाई गई ईसीबी हेतु ईसीबी देयता से इक्विटी अनुपात में वृद्धि की गयी है।
3 मई	सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा विभिन्न विदेशी निवेश सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेबी के परामर्श से विदेशी निवेश सीमाओं की निगरानी के लिए एक नई प्रणाली स्थापित की गयी है।
3 मई	राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ सूचनाएँ साझा करने संबंधी एक प्रणाली शुरू की गयी, जिसमें सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108-ए और 108-बी में निहित प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित नियमों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
10 मई	ऐसे क्षेत्र जहां 100 प्रतिशत एफ़डीआई की अनुमति नहीं है, वहाँ विदेशी संस्थाओं द्वारा शाखा कार्यालय / संपर्क कार्यालय / प्रोजेक्ट कार्यालय अथवा भारत में व्यवसाय के किसी अन्य स्थान की स्थापना के संबंध में आरबीआई की पूर्वानुमति की आवश्यकता से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया।
7 जून	दो अतिरिक्त फॉर्मेट, हेजिंग की रिपोर्टिंग संबंधी जानकारी एवं विदेशी विनिमय अर्जनों के लिए पार्ट ई.1 तथा ईसीबी 2 के फॉर्मेट को सरल करने के लिए व्यय की रिपोर्टिंग के लिए पार्ट ई.2 शुरू किये गये।
7 जून	भारत में विदेशी निवेश के लिए विभिन्न प्रकार की मौजूदा रिपोर्टिंग संरचनाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाने वाला एकल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ़) शुरू किया गया।
19 जून	उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत सभी विप्रेषणों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। इसके अलावा, निकट रिश्तेदारों के निर्वहन के लिए विप्रेषणों के लिए 'रिश्तेदार' की परिभाषा को कंपनी अधिनियम, 1956 की बजाय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप किया गया।
	बैंकिंग विनियमन विभाग
6 जुलाई 2017	इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के व्यापक उपयोग और शिकायतों में हो रही बढ़ोतरी के परिप्रेक्ष्य में, अनधिकृत / धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों के मामलों में ग्राहक के दायित्वों को सीमित करने के हेतु एक संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया गया।
2 अगस्त	क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा क्रेडिट संस्थाओं को प्रस्तुत उधारकर्ता संबंधी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में उधारकर्ता संबंधी सभी मॉड्यूल, जैसे : उपभोक्ता, वाणिज्यिक और एमएफ़आई में उपलब्ध क्रेडिट सूचनाएँ शामिल करना आवश्यक है।
2 अगस्त	भारत में निगमित बैंकों को अपनी आरक्षित अपेक्षाओं के अतिरिक्त विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास रखे गए रिज़र्व को स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में मान्यता देने की अनुमति थी, जहां एक विदेशी संप्रभु को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा शून्य प्रतिशत जोखिम भार दिया गया था। ऐसे मामलों में जहां किसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा किसी विदेशी संप्रभु को गैर शून्य प्रतिशत जोखिम भार दिया गया हो, किंतु बासेल-II संरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय विवेक से शून्य प्रतिशत जोखिम भार दिया गया हो, उन मामलों में विदेशी केंद्रीय बैंक में धारित इस प्रकार की अतिरिक्त आरक्षित निधियों को स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में उस सीमा तक अनुमति दी जाएगी, जिस सीमा तक बैंक के दबावग्रस्त निवल नकद बहिर्प्रवाह को उस विशिष्ट करेंसी में कवर किया गया हो।
2 अगस्त 2017	बैंक दर को 25 बीपीएस से घटाकर तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत किया गया।
25 सितंबर	यह निर्णय लिया गया कि वैकल्पिक निवेश निधियों बैंकों के निवेश से संबंधित विनियमों में संशोधन किया जाए तथा वित्तीय सेवाएँ कंपनियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को बासेल-III के अनुरूप बनाया जाए। बैंकों को व्यावसायिक समाशोधन एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी तथा बैंकों के अनुषंगियों को कमोडिटी डेरिवेटिव खंड में दलाली सेवाओं का प्रस्ताव देने की अनुमति दी गयी।
2 नवंबर	बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ₹0.50 बिलियन तथा उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले मौजूदा बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं (उनकी मूल तथा अनुषंगी/ सहयोगी संस्थों सहित) को निर्धारित अनुसूची के अनुसार विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) प्राप्त करने के लिए सूचित करें। जो उधारकर्ता निर्धारित अनुसूची के अनुसार एलईआई प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें ऋण सुविधाओं का नवीकरण/ वर्धन नहीं दिया जाएगा।
9 नवंबर	बैंकों को सूचित किया गया कि वे वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित प्रणाली स्थापित करें।
4 जनवरी 2018	रिज़र्व बैंक को विभिन्न विवरणियों में रिपोर्ट किए जानेवाले 83 डेटा तत्वों की परिभाषाओं को सुसंगत बनाया गया।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
7 फरवरी 2018	जीएसटी में अंतरण के संबंध में बैंकों तथा एनबीएफ़सी को जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के प्रति उनके एक्सपोजर को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखने की अनुमति दी गई यदि उधारकर्ता से दिनांक 1 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार अतिदेय राशि और 1 सितंबर 2017 और 31 जनवरी 2018 के बीच उधारकर्ता से बकाया भुगतान की चुकौती उनकी संबंधित मूल बकाया तिथि से 180 दिनों के भीतर की जाएगी।
12 फरवरी	दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अधिनियमन के परिप्रेक्ष्य में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु सीडीआर जैसी पिछली योजनाओं/ दिशानिर्देशों को सुसंगत एवं सरलीकृत ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2 अप्रैल	बैंकों को 31 दिसंबर 2017 तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए निवेशों पर एमटीएम हानि के लिए प्रावधान को जिस तिमाही में हानि हुई है उस तिमाही से आरंभ करते हुए चार तिमाहियों में समान रूप से स्प्रेड करने की अनुमति दी गई। उनको सूचित किया गया कि वे न्यूनतम 2 प्रतिशत के निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन करें और उसे निरंतर आधार पर बनाएँ रखें और इसे अधिमानतः वर्ष 2018-19 से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।
5 अप्रैल	आरआरबी को छोड़ कर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित था कि वे 01 अप्रैल 2018 से इंड एएस लागू करें। तथापि, बैंकों की तैयारी के स्तर को देखते हुए तथा आवश्यक वैधानिक संशोधनों के लंबित रहते हुए यह निर्णय लिया गया कि इंड एएस के क्रियान्वयन को एक वर्ष के लिए स्थगित किया जाए।
6 अप्रैल	ग्राहकों द्वारा खरीदी गई एकल बिलकुल सादा (प्लेन वनीला) विदेशी मुद्रा विकल्पों (बिना अटैच स्ट्रक्चर्स के) को उपयोगकर्ताओं की उपयुक्तता और औचित्य मानक से छूट दी जाएगी और इसकी विनियामकीय अपेक्षाएं विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के समान होंगी।
6 अप्रैल	वर्चुअल करेंसी में सौदों के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को ऐसी करेंसी लेनदेन में भाग लेने या उनके निपटान अथवा सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
20 अप्रैल	धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमावली में सरकार द्वारा 1 जून 2017 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से और इसके बाद किए गए परिवर्तनों के अनुसार केवाईसी निर्देशों को संशोधित किया गया।
17 मई	आईएफ़एससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) द्वारा परिचालन शुरू करने हेतु मूल बैंक द्वारा अपनी आईबीयू को न्यूनतम पूंजी के रूप में 20 मिलियन यूएस डालर अथवा इसकी समतुल्य राशि उपलब्ध कराना और निरंतर आधार पर बनाए रखना अपेक्षित है। आईबीयू के एक्सपोजरों के लिए सहित, न्यूनतम निर्धारित विनियामक पूंजी को मूल बैंक स्तर पर निरंतर आधार पर बनाए रखना आवश्यक होगा; विदेशी बैंकों के लिए, आईबीयू मूल बैंक से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा तथा उसे अर्धवार्षिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।
17 मई	लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में निधीयन जोखिम में कम करने के लिए निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए।
6 जून	बैंक दर में तत्काल प्रभाव से संशोधन करके उसे प्रतिशत 6.25 से 6.50 प्रतिशत किया गया।
6 जून	बैंकों और एनबीएफ़सी को सभी एमएसएमई (जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए सहित) के प्रति उनके एक्सपोजर को, देय तिथि के 180 दिन बाद के मापदंड के अनुसार, "मानक आस्ति" के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई। जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई द्वारा 1 जनवरी 2019 से देय बकाया राशि के संबंध में 90 दिन एनपीए मानदंड को, चरणबद्ध तरीके से संरेखित किया जाएगा।
7 जून	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत जमाराशियां खंडित अवधि के लिए रखी जा सकती हैं। मध्यम और दीर्घावधि सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) योजना के अंतर्गत देय ब्याज का भुगतान वार्षिक रूप से किया जाएगा। नामित बैंकों को एमएलटीजीडी योजना के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण के लिए भारतीय रुपये में समरूप राशि पर क्रमश: 1% और 1.5% की एक समान दर पर हैंडलिंग प्रभार और कमीशन का भुगतान किया जाएगा। एमएलटीजीडी योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अवधिपूर्व मोचन केवल भारतीय रुपये में होगा।
7 जून	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी जमाराशियों पर बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं/दावेदारों को अदा किए जाने वाले ब्याज की दर पूर्व की 4.00 प्रतिशत के बजाय 01 जुलाई 2018 से प्रति वर्ष 3.5% साधारण ब्याज होगी।
14 जून	बैंकों को सूचित किया गया कि वे 18 मई 2017 को जारी 'शाखा प्रधिकरण नीति को तर्कसंगत बनाना – दिशानिर्देशों में संशोधन' पर बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुबंध III के संबंध में 11 जून 2018 से सरकार द्वारा यथासंशोधित वाम पंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची का अनुपालन करें।
15 जून	सरकारी प्रतिभूतियों पर बढ़ते हुए प्रतिलाभों तथा अनेक बैंकों के लिए निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) निर्माण के लिए समय की अपर्याप्तता को देखते हुए बैंकों को एएफएस तथा एचएफटी संविभागों में एमटीएम हानियों के लिए 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए प्रावधानीकरण को स्प्रेड करने की अनुमति दी गयी है, बशर्ते कि वे अपने लेखे पर टिप्पणियां/ तिमाही परिणामों में समुचित प्रकटीकरण करें।
15 जून	बैंकों को अपने एलसीआर की गणना के लिए अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर एफएएलएलसीआर के अंतर्गत उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को उनके एनडीटीएल के और दो प्रतिशत तक स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में मान्यता देने की अनुमति दी गयी।

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
	सहकारी बैंक विनियमन विभाग
13 जुलाई 2017	सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे खाते में की जाने वाली प्रविष्टियों में प्रासंगिक विवरण दें तथा बैंक पासबुक में प्रारंभ में ही "जमाराशि बीमा कवर" के बारे में सूचना दें, जिसमें कवरेज की सीमा भी शामिल होगी।
16 अगस्त	शहरी सहकारी बैंको में कोर बैंकिंग समाधान के लिए कामकाजी और तकनीकी अपेक्षाओं को जारी किया गया।
14 दिसंबर	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किये गये।
10 मई 2018	शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित दिशानिर्देशों को मोटे तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया।
	गैर बैंकिंग विनियमन विभाग
6 जुलाई 2017	₹5 बिलियन और उससे अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी को, पीएफआरडीए के साथ पंजीकरण के पश्चात एनपीएस के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई।
14 अगस्त	सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं के रूप में अधिसूचित एनबीएफ़सी को सूचित किया गया कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नामित वकील को नियुक्त करें।
14 अगस्त	एनबीएफसी को अपने सावधि जमा पोर्टफोलियो की रेटिंग के लिए इंफोमेरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईवीआरपीएल) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी।
4 अक्तूबर	एनबीएफ़सी-पीयर टु पियर लेंडिंग प्लैटफ़ार्म के रूप में पी2पी लेंडिंग प्लैटफ़ार्म पर विनियम जारी किए गए।
9 नवंबर	एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
23 नवंबर	निर्धारित शर्तों को पूरा करनेवाली एआरसी को उधारकर्ता कंपनी में 26 प्रतिशत की शेयर धारिता की सीमा से छूट दी गई है।
4 जनवरी 2018	एआरसी को सूचित किया गया कि वे इंफोरमेशन यूटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंफोरमेशन यूटिलिटी), विनियमावली 2017 के संबंधित प्रावधानों का पालन करें।
23 फरवरी	लोकपाल योजना के अंतर्गत आनेवाली एनबीएफ़सी को सूचित किया गया कि वे एक प्रधान नोडल अधिकारी(पीएनओ)/ नोडल अधिकारी (एनओ) की नियुक्ति करें तथा अपने सभी कार्यालयों तथा शाखाओं में लोकपाल योजना की प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करें।
31 मई	सरकारी एनबीएफसी को कतिपय विनियामक और सांविधिक प्रवधानों से दी गई छूटों को वापिस लिया गया तथा उनसे विवेकपूर्ण विनियमों का चरणबद्ध रूप से पालन करने की अपेक्षा की गयी।
7 जून	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी - एनडी - एसआई) को केवल प्रायोजकों के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (उन्विट) यूनिट धारण करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि ऐसे एक्सपोजर प्रयोजकों के लिए सेबी विनियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित न्यूनतम धारित और अवधि सीमाओं के अधिक नहीं हों।
	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
13 जुलाई 2017	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष वाले बैंकों के लिये, उन्हें निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में भी नामित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होग।
27 जुलाई	सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिये विराम और आवर्तन सुनिश्चित करने के लिये, किसी विशिष्ट निजी/विदेशी बैंक में अपने चार साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद कोई लेखापरीक्षा फर्म छह साल की अवधि के लिए लिये नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।
21 जून 2018	बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों के सूचित किया गया कि वे विंडोज़ एक्सपी तथा/ अथवा अन्य अनसपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे एटीएम के बारे में चिंता को दूर करने हेतु तत्काल कार्रवाई करें।
29 जून 2018	सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनकी जवाबदेही की जांच करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई प्रेमवर्क बनाया गया।
	गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
15 मार्च 2018	सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफ़सी को आवधिक विवरणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।
	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
23 फरवरी 2018	एनबीएफसी की सेवाओं में कमी से संबंधित निःशुल्क और शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था प्रदान करने के लिये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 शुरू की गयी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
4 अक्तूबर 2017	यह निर्णय लिया गया कि एसडीएल की नीलामी साप्ताहिक (पूर्व में पाक्षिक) की जाए तथा नीलामी के नतीजे उसी दिन 3.00 बजे तक घोषित किए जाए।
23 नवंबर	सरकारी प्रतिभूति और खजाना-बिल प्राथमिक नीलामी में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निर्दिष्ट शेयर बाज़ारों को प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में निवेशक बोली लगाने के लिए समूहक/सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी।
3 मई 2018	निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) को बाजार की अपेक्षाओं के अधिक अनुरूप करने के दृष्टिकोण से, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए पात्र प्रतिभूतियों के साथ-साथ प्राथमिक व्यापारियों (पीडीए) द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए सभी अनुरोधों को प्राधिकृत करने की अपेक्षाओं पर प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया।
6 जून	एकल प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को अपने एफपीआई ग्राहकों को व्यापक सेवाएं मुहैया कराने के लिए एसपीडी को सीमित विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
6 जून	राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ़) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ़) में पर्याप्त निधि बनाये रखने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आहरण सुविधा पर ब्याज की दर को नीतिगत रिपो दर से 100 आधार अंक से 200 आधार अंक तक कम करने का निर्णय लिया गया।
	मुद्रा प्रबंध विभाग
9 फरवरी 2018	विलंब से रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि उन मामलों के लिये जहां करेंसी चेस्ट ने "निवल जमा" का रिपोर्ट किया था, मौजूदा दर पर दंड ब्याज नहीं लिया जाए। हालांकि, "आहरण" के रूप में दिखाए गए आरबीआई को गंदे नोटों का विप्रेषण/ विपथन की गलत रिपोर्टिंग के मामले में करेंसी चेस्ट पर ₹50,000 का एकसमान जुर्माना लगाया जाना है।
15 फरवरी	बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी सभी शाखाओं को या तो विनिमय या जमा करने के लिए उनके काउंटरों पर दिये गये सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को स्वीकार करने के लिये निर्देशित करें, जिसका उल्लंघन होने पर आरबीआई द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
1 मार्च	नकद रीसाइकिलिंग और केवल कम मूल्यवर्ग के नोट वितरण करने वाले एटीएम की स्थापना हेतु बैंकों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन को वापस लिया गया।
6 अप्रैल	नकदी प्रबंधन प्रचालन-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) के लिए बैंकों द्वारा सेवा प्रदाताओं/उप-संविदाकारों को शामिल करने के लिए कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित किए गये थे। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समीक्षा करें, उन्हें 90 दिनों के भीतर अनुदेशों के अनुरूप लाएं और कारोबार निरंतरता योजना बनाएं।
12 अप्रैल	जोखिमों को कम करने के लिए बैंकों को निदेश दिया गया कि वे नकदी भरने के लिए अपने एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेटों को इस्तेमाल करें और चरणबद्ध तरीके से इसे कार्यान्वित करें जिसमें हर साल कम से कम एक तिहाई एटीएम शामिल हों, ताकि सभी एटीएम में 31 मार्च, 2021 तक कैसेट स्वैप किया जा सके।
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
11 अक्तूबर 2017	नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और संरक्षा, सुरक्षा व उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) से संबंधित संशोधित मास्टर निदेश जारी किया गया।
6 दिसंबर	डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए व्यापारी छूट दर को तर्कसंगत बनाया गया।
6 अप्रैल 2018	भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेने वाले सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और अन्य संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा को केवल भारत में ही सिस्टम में संग्रहीत किया जाए।